न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/43/2022

अपीलांट ओम प्रकाश
निवासी चामुण्डा चौराहे से आगे माजीसा जेवल्स के पास गोकुल टेक्स कन्सल्टेंसी के पास विष्णु कॉलोनी बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 02.05.2022

अपीलार्थी ओम प्रकाश निवासी चामुण्डा चौराहे से आगे माजीसा जेवल्स के पास गोकुल टेक्स कन्सल्टेंसी के पास विष्णु कॉलोनी बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 07.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र एवं शुल्क की प्रति दिनांक 03.08.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा अपने जवाब में प्रकट किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई आंशिक सूचना विकास अधिकारी धोरीमन्ना से संबंधित है एवं शेष सूचना व्यक्तिगत एवं प्रश्नात्मक होने से तथा जिला रसद अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होने से देय नहीं है। लिहाजा प्रस्तुत अपील का उचित निस्तारण किया जावे।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना विकास अधिकारी धोरीमन्ना से संबंधित होने एवं शेष सूचना उक्त कार्यालय से संबंधित नहीं होने से देय नहीं है। लिहाजा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा उनके विभाग से संबंधित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा यदि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में नियत शुल्क अदायगी की जावे तो उसे वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:17 IST
Reason: SelfAttested

Lok

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर